

संचालनालय, कोष एवं लेखा,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/प्रशि०/४/प्रशा०अका०/१८/६९१

भोपाल,दिनांक १५-१०-१८

प्रति,

श्रीमती श्वेता पवार)
डॉ० प्रज्ञा अवस्थी,

सह-प्रशिक्षण संचालक,
आर०सी०व्ही०पी०नरोन्हा,
प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी,
भोपाल

विषय:- सायबर सुरक्षा एवं प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम । (द्वितीय श्रेणी अधिकारियों हेतु)

अवधि 25.10.2018 से 27.10.2018 कोड क्रमांक- 268

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/5455/अका/प्रशि/01-01/2018-2019 भोपाल दिनांक 08-08-2018

--00--

उपरोक्त संदर्भित पत्र के स०क्र० 7 पर अंकित विषयांकित प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित (05) अधिकारियों को नामांकित किया जाता है :-

स०क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना
01	श्री नरेन्द्र कुमार धुर्वे	वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय रायसेन
02	श्री प्रशांत गोटिया	वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय नरसिंहपुर
03	श्री जितेन्द्र मंडलोई	कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय बड़वानी
04	श्री दीपक कुमार जैन	कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय गुना
05	श्री राकेश कुमार	कोषालय अधिकारी	जिला कोषालय अशोकनगर

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

॥
(विश्वजीत झारिया)
संयुक्त संचालक

पृ०क्रमांक/प्रशि०/४/प्रशा०अका०/१८/६९२

भोपाल,दिनांक १५-१०-१८

- 1- अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2- श्री राकेश यादव, प्रशिक्षण संचालक, आर०सी०व्ही०पी०नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 3- कार्यालय----- (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती----- को दिनांक 25.10.2018 से 27.10.2018 तक विषयोंकित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी म०प्र० भोपाल में अनिवार्य रूप से भेजना/जाना सुनिश्चित करें ।
- 4- संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती -----कार्यालय-----

(म0प्र0)की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि दिनांक **25.10.2018** को प्रातः 10:00 बजे प्रशासन अकादमी भोपाल में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य है । अधिकारियों की अनुपस्थिति की स्थिति में उनके प्रशिक्षण पर व्यय हुए निर्धारित शुल्क की राशि माह नवंबर-2018 के वेतन से काटी जायेगी एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण से मुक्त नहीं किया जावेगा ।

5- श्री लोकेश तिवारी, सहायक प्रोग्रामर, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल की ओर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालनालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।


संयुक्त संचालक